



राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं से संबंधित अभ्यर्थियों की सामान्य जिज्ञासाएं :-

Last Updated: 31.07.2024

(Disclaimer)

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) का यह संकलन सामान्य मार्गदर्शन, सूचना और उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए प्रकाशित किया गया है। इसमें निहित जानकारी सामान्य प्रकृति की है और किसी भी प्रकार से संपूर्ण नहीं है तथा इसमें शामिल मुद्दे कानूनी या वैधानिक अभिमत, सलाह, विवेचना या प्राधिकार की प्रकृति के नहीं हैं। उद्धृत किए गए नियमों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को समय के साथ परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग ऐसी किसी भी देयता, हानि, क्षति या किए गए व्यय या ऐसे दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो इस संकलन में निहित सामग्री का उपयोग करने के परिणामस्वरूप किया गया है, चाहे वह किसी भी सीमा में और इसके संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि या चूक के कारण हो।

आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों की भर्ती हेतु संबंधित विभाग/शासन से नियमानुसार अर्थना प्राप्त होने पर पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है। आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर चयन किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित भिन्न-भिन्न जानकारियां चाही जाती हैं जो कि आयोग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं। कुछ विशेष जिज्ञासाएं जो अभ्यर्थियों द्वारा प्रकट की जाती हैं जो निम्नानुसार हैं, जो कि समय-समय पर प्रक्रिया के परिवर्तन होने पर परिवर्तनीय हैं।

प्रश्न 1. राजस्थान लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं?

उत्तर:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में उल्लेखित प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं। लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जावेगा-

(क) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिए भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर;

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानान्तरण करने के तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर;

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएँ सम्बद्ध हैं, उनके सहित समस्त अनुशासनिक विषयों पर;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है, अथवा वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत, या कर्तुमभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चलाई गई किन्हीं विधि-कार्यवाहियों में जो व्यय उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है, वह यथा स्थिति राज्य की संचित निधि में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर;

(ङ) राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति वेतन दिये जाने के लिए दावे पर तथा ऐसी ही दी जाने वाली राशि क्या हो, इस प्रश्न पर; एवं

(च) अन्य कोई मामला, जो शासन द्वारा संदर्भित किया जावे।

सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया एवं नियुक्ति दिये जाने के सिद्धान्तों को अपनाए जाने हेतु या इस प्रकार के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने या ऐसी नियुक्तियों में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। जब तक सेवा में किसी भी पद की भर्ती के लिये सम्बन्धित सेवा नियमों में प्रावधान निहित है तब ही उस पद पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी -

1. मंत्रालयिक सेवा में या
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 के अनुसार अधीनस्थ सेवा या राज्य सेवा में चाहे तकनीकी या गैर-तकनीकी जिसके प्रारंभिक वेतन के रूप में ग्रेड वेतन 3600/- रुपये प्रतिमाह या उससे कम है।

प्रश्न 2. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कौन-कौन सी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है?

उत्तर :- आयोग द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार से पूर्ण की जाती है - (प्रथम) साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से एवं (द्वितीय) साक्षात्कार सहित अथवा रहित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा। साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से संवीक्षा परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। संवीक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों का साक्षात्कार में भार नहीं दिया जाता था, किन्तु पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 24.04.2019 के लिये गये निर्णय अनुसार साक्षात्कार के अंको का तीन भागों में विभाजन किया गया है:- शैक्षणिक योग्यता, संवीक्षा परीक्षा में प्राप्त अंको का भारांक तथा साक्षात्कार के प्राप्तांक।

A-Recruitment through Written Competitive Exam Only

| S.No. | Name of Rule | Name of Department | Name of Post |
|--------------|--|---|---|
| 1. | The Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992 | Information Technology & Communication Department | 1. Analyst cum programmer (Deputy Director) 2. Programmer |
| 2. | The Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service Rules, 2021 | Secondary Education Department | 1.Lecturer (various Subjects) 2.Senior Teacher (Various Subjects) 3.Senior Teacher (Special Education)(various Subjects) 4.Sr. Physical Education Teacher 5.Librarian Grade-II |
| 3. | The Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch) Rules, 2015 | Sanskrit Education Department | 1.Head Master, Praveshika School/ Senior Deputy Inspector 2.Lecturer/Deputy Inspector 3.Senior Teacher/Teacher in Arts Grade-II/ Teacher in Crafts Grade-II 4.PTI Grade-II 5.Librarian Grade-II |
| 4. | The Rajasthan Prosecution Subordinate Service Rules, 1978 | Home Department (Prosecution) | 1.Assistant Prosecution Officer |
| 5. | The Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2001 | Evaluation Organisation Department | 1.Research Assistant |
| 6. | The Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971 | Economics & Statistics Department | 1.Assistant Statistical Officer |
| 7. | The Rajasthan Statistical Service Rules, 1958 | Economics & Statistics Department | 1. Statistical Officer |
| 8. | The Rajasthan Women Empowerment (State and Subordinate) Service Rules, 2017 | Women Empowerment Department | 1.Protection Officer |
| 9. | The Rajasthan Medical and Health Subordinate Service Rules, 1965 | Medical & Health Service Department | 1.Nursing Tutor 2.Hospital Caretaker 3.Food Safety Officer 4.Occupational Therapist 5.Physio Therapist 6.Dietician |
| 10. | The Rajasthan Municipal (Administrative & Technical)Service Rules, 1963 | Local Self Government | 1.Assistant Engineer(Civil) 2.Revenue Officer Gr.II 3.Executive Officer Gr.IV |
| 11. | The Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966 | Department of Town Planning | 1.Assistant Town Planner 2.Assistant Engineer |
| 12. | The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960 | Agriculture Department | 1.Agriculture Officer 2.Agriculture Research Officer (various branch) 3.Statistical Officer |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 13. | The Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978 | Agriculture Department | 1. Assistant Agriculture Officer 2. Assistant Agriculture Research Officer (various branch) 3. Assistant Statistical Officer |
| 14. | The Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969 | Ground Water Department | 1. Assistant Engineer (Mechanical) 2. Assistant Engineer (Civil) 3. Junior Hydro Geologist 4. Junior Geophysicist 5. Junior Chemist 6. Junior Hydro-meteorologist |
| 15. | The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973 | Ground Water Department | 1. Technical Assistant (Hydrogeology) 2. Technical Assistant (Chemistry) |
| 16. | The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 1960 | Mines & Geology Department | 1. Assistant Mining Engineer 2. Assistant Mechanical Engineer 3. Assistant Drilling Engineer 4. Geologist 5. Chemist 6. Senior chemist 7. Junior Geophysicist |
| 17. | The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973 | Ayurveda Department | 1. Lecturer 2. Demonstrator 3. Analyst 4. Chemist 5. Botanist 6. Yoga and Prakratik Chikitsa Adhikari |
| 18. | The Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979 | Planning (Evaluation) Department | 1. Evaluation Officer |
| 19. | The Rajasthan Archaeology and Museums Service Rules, 1960 | Archaeology and Museum Department | 1. Exploration and excavation officer 2. Curator. 3. Numismatist. |
| 20. | The Rajasthan Archives Subordinate Service Rules, 1968 | Archives Department | 1. Archivist 2. Research Officer 3. Chemist 4. Assistant Archivist 5. Research Scholar |
| 21. | The Rajasthan Engineering Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 1975 | Department of Electrical Inspectorate (Energy) | 1. Assistant Electrical Inspector |
| 22. | The Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979 | Rajasthan State Motor Garage Deptt. | 1. Divisional Superintendent Motor Garage |
| 23. | The Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012 | Fisheries Department | 1. Fisheries Development Officer 2. Assistant Fisheries Development Officer |
| 24. | The Rajasthan Forensic Science Service Rules, 1979 | Forensic Science Laboratory Department | 1. Senior Scientific Officer (Various Division) |

| | | | |
|-----|---|---------------------------------|---|
| 25. | The Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1963 | Animal Husbandry Department | 1.Veterinary Officer |
| 26. | The Rajasthan Service of Inspector of Factories and Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958 | Factories & Boilers Department | 1. Inspector of factories & boilers 2.Deputy Director Safety, Museum & Training Center 3.Deputy Director Industrial hygiene 4.Inspector of factories (Chemical) 5.Assistant Director, Industrial Safety, Museum & Training Center |
| 27. | The Rajasthan Social Welfare Service Rules, 1963 | Social Welfare Department | 1.Lecturers |
| 28. | The Rajasthan Government Presses Service Rules, 1960 | Government Presses Department | 1.Assistant Superintendent |
| 29. | The Rajasthan Horticulture Service Rules,1962 | Department of Horticulture | 1.Superintendent Gardens |
| 30. | The Rajasthan Language and Library (State & Subordinate) Service Rules, 2013 | Language and Library Department | 1.Librarian Grade-II/Assistant Academic Officer |
| 31. | The Rajasthan Petroleum State and Subordinate Service Rules, 2012 | Directorate of Petroleum | 1.Assistant Petroleum Engineer |
| 32. | The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975 | Technical Education Department | 1.Group Instructor/ Surveyor/ Assistant Apprenticeship Advisor (Gr.II) |

B. Recruitment through Competitive Exam and Interview

| S.No. | Name of Rule | Name of Department | Name of Post |
|-------|---|------------------------------|--|
| 1. | Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination), 1999 | Department of Personnel | Rajasthan State and Subordinate Services Competitive Examination |
| 2. | The Rajasthan State Engineering Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1991 | | Assistant Engineer (Mechanical/Civil/Electrical) Comb. Comp. Examination |
| 3. | Rajasthan Forest Service Rules, 1962 | Forest Department | Assistant Conservator of Forest |
| 4. | Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 2015 | | Forest Range Officer Grade-I |
| 5. | Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) Rules, 1986 | College Education Department | Assistant Professor, Various Subjects |
| 6. | Rajasthan Librarian and Physical Training Instructor Service (Collegiate Branch) Rules, 2023 | | Librarian Physical Training Instructor |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 7. | Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989 | Home Department | Sub-Inspector Platoon Commander |
| 8. | Rajasthan Police Service Rules, 1954 | | Dy. Supdt. of Police Wireless |
| 9. | Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998 | | Deputy Jailor |
| 10. | Rajasthan Legal (State and Subordinate) Service Rules, 1981 | Law and Legal Affairs Department | Junior Legal Officer |
| 11. | Rajasthan Vidhi Rachna (State And Subordinate) Service Rules, 1981 | | Vidhi Rachanakar |
| 12. | Rajasthan Sanskrit Education (Collegiate Branch) Service Rules, 2022 | Sanskrit Education Department | Assistant Professor, Various Subject Librarian Physical Training Instructor |
| 13. | Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962 | Medical Education Department | Assistant Professor Senior Demonstrator |
| 14. | Rajasthan Technical Training Service Rules, 1975 | Technical Education Department | Vice Principal/Supdt. ITI |
| 15. | Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010 | | Principal/Joint Director Head of Department (Engg./Architect)/Assistant Director Lecturer/Assistant Training and Placement Officer/Academic Officer |
| 16. | Rajasthan Technical Education (Non Engineering) Service Rules, 2010 | | Principal Head of Department Lecturer- Various Subjects |
| 17. | Rajasthan Public Relations Service Rules, 1966 | Information and Public Relation Department | Public Relation Officer |
| 18. | Rajasthan Science and Technology (State and Subordinate) Service Rules, 2021 | Science & Technology Department | Assistant Director |
| 19. | Rajasthan Home Guards and Civil Defence Service Rules, 1976 | Home Guards & Civil Defence Department | Deputy Commandant (Only for Ex-captain) |

C. By the method of Interview based on Weightage formula

| S.No. | Name of Rule | Name of Post | Name of Department |
|-------|--|--|--------------------------------------|
| 1. | Rajasthan Service of Engineers and Allied posts (Public Health Branch) Rules, 1968 | Junior Chemist Zoologist | Public Health Engineering Department |
| 2. | Rajasthan Service of Engineers and Research Officers (Irrigation Branch) Rules, 1954 | Assistant Soil Officer Assistant Research Officer | Irrigation Department |
| 3. | Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999 | Librarian | Rajasthan Public Service Commission |
| 4. | Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy. Service Rules, 2008 | Rural Ayurved Chikitsak Rural Homeopathic Chikitsak Rural Yunani Chikitsak | Ayurved Department |
| 5. | Rajasthan Service of Engineers (Buildings and Roads Branch) Rules, 1954 | Assistant Testing Officer | Public Work Department |

D. Recruitment through Interview (Commission/Appointment Authority)

| S.No. | Name of Rule | Name of Post | Name of Department |
|-------|--|---|------------------------------------|
| 1. | Rajasthan Civil Aviation State Service Rules, 2013 | Junior Pilot (Aircraft) Junior Pilot Helicopter Aircraft maintenance Engg. Quality Manager and CAME | Aviation Service Department |
| 2. | Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966 | Salt Superintendent/ Analyst | Industries and Commerce Department |

E. Recruitment through Interview or Written Exam (Commission/Appointment Authority)

| S.No. | Name of Rule | Name of Post | Name of Department |
|-------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and other Service Conditions) Rules 2001 | Technical Assistant | Factory and Boilers Department |
| | | Research Officer | Arabic and Persian Research Institute |
| | | Medical Records Officer | Medical College Department |

प्रश्न 3. विज्ञापन कब तक एवं कितने पदों हेतु जारी किया जायेगा ?

उत्तर:— विभाग से निर्धारित अर्थना-पत्र मय पदों के वर्गीकरण के प्राप्त होने पर एवं आयोग स्तर पर आवश्यक जांच उपरान्त ही नियमानुसार विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न 4. विभिन्न पदों की भर्ती, पदों की संख्या एवं ऑनलाईन प्रक्रिया संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी ?

उत्तर:— आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर विभिन्न पदों की भर्ती अथवा पदों की संख्या में परिवर्तन संबंधित विज्ञप्ति एवं अन्य जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। अभ्यर्थी <https://rpsc.rajasthan.gov.in/advertisements> लिंक पर जाकर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बंधित विज्ञापन का चुनाव कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर जाकर उपलब्ध मैनु "Candidate Information" के अंतर्गत "Recruitment Advertisements" लिंक को क्लिक कर अथवा "Exam Dashboard" लिंक <https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard> के अंतर्गत संबंधित भर्ती के समक्ष "Recruitment Advertisements" के कॉलम लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 5. विज्ञापन के तहत आयु/योग्यता/पदों के संबंध में जानकारी कहाँ उपलब्ध होगी?

उत्तर:— अभ्यर्थी <https://rpsc.rajasthan.gov.in/advertisements> लिंक पर जाकर विज्ञापन का अवलोकन करें।

प्रश्न 6. आयोग द्वारा जारी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी?

उत्तर:— आयोग द्वारा जारी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर Candidate Information > Important Downloads > Instructions for Applicants पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है वे इन सामान्य निर्देशों को आवश्यक रूप से देखें एवं पढ़ लें।

प्रश्न 7. आयोग द्वारा विभिन्न भर्तियों से संबंधित जारी प्रेस नोट की जानकारी कहाँ मिलेगी ?

उत्तर. आयोग द्वारा विभिन्न भर्तियों से संबंधित जारी प्रेस नोट की जानकारी निम्न तरीके से ले सकते हैं— अभ्यर्थी द्वारा <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर जाकर उपलब्ध मैनु "Candidate information" के अंतर्गत "Press Note" लिंक को क्लिक कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in/pressnotes> लिंक पर जाकर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बंधित विज्ञापन का चुनाव कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard> के अंतर्गत संबंधित भर्ती के समक्ष "Press Note" के कॉलम लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 8. विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों संबंधित जानकारी कहाँ एवं कब मिलेगी ?

उत्तर:— आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों से संबंधित जानकारी निम्न तरीके से ले सकते हैं —

अभ्यर्थी द्वारा “Exam Dashboard” लिंक <https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard> के अंतर्गत संबंधित भर्ती के समक्ष “Proposed Exam Date” के कॉलम लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर जाकर उपलब्ध “Upcoming Exams” हैडिंग के अंतर्गत “View All Exam Dates” लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in/proposedexamdate> लिंक को क्लिक कर विज्ञापन वर्ष एवं संबंधित विज्ञापन का चुनाव कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 9. विभिन्न परीक्षाओं में **श्रुतलेखक** की सुविधा कैसे प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर:— श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर Candidate Information > Important Downloads > Instructions for Applicants के अंतर्गत बिन्दु संख्या 5 से प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 10. OTR प्रक्रिया क्या है तथा इस प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

उत्तर:— आयोग द्वारा जारी विज्ञापन हेतु ऑनलाइन आवेदन Recruitment Portal के माध्यम से किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थी को SSO Portal पर लॉगिन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग के पोर्टल पर “Important Downloads” सेक्शन के अंतर्गत अथवा लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/Static/InformationForCandidates/OTR_Manual.pdf में देखें।

प्रश्न 11. विभिन्न परीक्षाओं हेतु **पंजीकृत अभ्यर्थियों की कुल संख्या/वर्गवार संख्या** की जानकारी कहाँ मिलेगी?

उत्तर:— अभ्यर्थी स्वयं की SSO ID से Recruitment Portal पर Login कर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 12. क्या ऑनलाइन आवेदन के पश्चात भरे गए आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है ?

उत्तर:— आवेदन की अवधि के दौरान व आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के लिये एवं आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से लगभग 60 दिवस पूर्व 7 के लिये विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही ऑनलाइन संशोधन हेतु विकल्प खोला जायेगा।

प्रश्न 13. क्या अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में **स्वयं के नाम/पिता के नाम/लिंग/जन्मदिनांक** में परिवर्तन एवं अन्य संशोधन किये जा सकते हैं?

उत्तर:— ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त चारों प्रविष्टियां One Time Registration (OTR) से स्वतः प्राप्त (Auto Fetch) होती है। इस कारण इन प्रविष्टियों में परिवर्तन अनुमत नहीं है, तथापि वर्तनी संबंधी अशुद्धि को कालान्तर में दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षण कर यथोचित निर्णय किया जाता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त OTR में उक्त सभी प्रविष्टियां अभ्यर्थी के दस्तावेजों के अनुरूप हों। यदि नहीं हो तो सर्वप्रथम अभ्यर्थी मूल दस्तावेज को संशोधन करावें एवं तदुपरान्त ही OTR से Fetch करें।

प्रश्न 14. परीक्षा उपरान्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन किस प्रकार होता है?

उत्तर:— ऑनलाईन आवेदन पत्र में परीक्षा उपरान्त संशोधन नहीं किया जाता है। केवल परीक्षा उपरान्त एवं परिणाम जारी होने से पूर्व आकस्मिक रूप से **विधवा/दिव्यांग** हो गये अभ्यर्थियों को ही परिणाम जारी होने से पूर्व संशोधन की अनुमति दी जाती है, परन्तु इस आकस्मिक घटना से पूर्व के परिणाम की समीक्षा नहीं जायेगी।

प्रश्न 15. यदि Recruitment Portal नहीं खुल रहा है या धीमा चल रहा है तो क्या करें?

उत्तर:— आवेदक इस हेतु कुछ समय पश्चात पुनः प्रयास करे चूँकि नेटवर्क समस्या अथवा सर्वर पर अत्यधिक भार होने पर ऐसा संभव है साथ ही समस्त अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पूर्व ही आवेदन की कार्यवाही कर ले ताकि अंतिम दिनांक पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आयोग ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया से ही फार्म भरवाता है एवं इस आवेदन प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय उपलब्ध कराता है। अतः अभ्यर्थी समय पूर्व ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें।

प्रश्न 16. क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ उसका प्रिंटआउट भी डाक से भेजने की आवश्यकता है?

उत्तर:— ऑनलाइन आवेदन के साथ उसका प्रिंटआउट भेजने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक एप्लीकेशन का प्रिंटआउट निकल कर रखना सुनिश्चित करे जिसकी प्रति आयोग द्वारा चाहने पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

प्रश्न 17. विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी ?

उत्तर:— आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम जारी होने के तुरन्त पश्चात् आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाते हैं जिसकी जानकारी अभ्यर्थी निम्न तरीके से ले सकते हैं अथवा “Exam Dashboard” लिंक <https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard> के अंतर्गत संबंधित भर्ती के समक्ष “Syllabus” लिंक को क्लिक कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in/syllabus> लिंक को क्लिक कर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बंधित विज्ञापन का चुनाव कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in> लिंक को क्लिक कर उपलब्ध मैनु “Candidate Information” के अंतर्गत “Syllabus” लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 18 : विभिन्न विज्ञापित परीक्षाओं के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर कब जारी किये जाते है ?

उत्तर:— विभिन्न परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् पाठ्यक्रम तैयार कर यथासमय वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड किया जाता है।

प्रश्न 19 : विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नों का माध्यम क्या होता है ?

उत्तर:— सामान्यतया आयोग द्वारा विज्ञापित पदों की योग्यता के अनुरूप प्रश्न पत्रों का माध्यम द्विभाषी अथवा अंग्रेजी निर्धारित किया जा सकता है।

प्रश्न 20 : आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के विशेषज्ञों के नाम, पदनाम, अनुभव, पता, कार्य-स्थल, वेतनमान आदि की जानकारी क्या प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर:- R.T.I. Act, 2005 के तहत संधारित सूचनाएं/दस्तावेज ही उपलब्ध करवाये जाते हैं। R.T.I. Act, 2005 धारा 8 बिन्दु 1 (घ)(छ) के अनुसार विशेषज्ञों के नाम, पदनाम, अनुभव, पता, कार्यस्थल, वेतनमान अथवा अन्य कोई जानकारी देय नहीं है।

प्रश्न 21. विभिन्न परीक्षाओं के उत्तर कुंजी से संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी ?

उत्तर:- आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन के पश्चात् मॉडल (या अंतिम) उत्तरकुंजी यथा-शीघ्र आयोग की वेबसाईट के निम्न लिंक से प्राप्त की जा सकती है :-

अभ्यर्थी द्वारा “Exam Dashboard” लिंक <https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard> के अंतर्गत संबंधित भर्ती के समक्ष “Answer Keys” के कॉलम लिंक को क्लिक कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in/answerkeys> लिंक पर जाकर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बंधित विज्ञापन का चुनाव कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध मैन्यू “Candidate Information” के अंतर्गत “Answer Keys” लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 22. मॉडल उत्तर-कुंजी पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर:- आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन के पश्चात् मॉडल उत्तर-कुंजी एवं प्रेस नोट आयोग की वेबसाईट पर जारी किया जाता है तदनुसार अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रुटमेंट पोर्टल पर संबंधित परीक्षा का चयन कर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। ऑफ लाइन आपत्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

प्रश्न 23. मॉडल उत्तर-कुंजी पर ऑन-लाइन आपत्तियों के संदर्भ में क्या विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर:- विशेषज्ञों की राय/रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (छ) के अनुसार देय नहीं है।

प्रश्न 24. उत्तर-कुंजी तैयार करने हेतु उपयोग में ली गई प्रमाणिक पुस्तकों की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर:- आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं को सुरक्षित एवं गोपनीय बनाये रखने के उद्देश्य से इस प्रकार की जानकारी प्रसारित नहीं की जाती है।

प्रश्न 25. विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम/प्राप्तांक/अंतिम कट-ऑफ मार्क्स की जानकारी कहाँ मिलेगी?

उत्तर:- आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम एवं अभ्यर्थी के प्राप्तांक एवं अंतिम कट-ऑफ मार्क्स संबंधित जानकारी निम्न तरीके से ले सकते हैं:-

अभ्यर्थी द्वारा “Exam Dashboard” लिंक <https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard> के अंतर्गत संबंधित भर्ती के समक्ष “Answer Keys” के कॉलम लिंक को क्लिक कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in/results> लिंक पर जाकर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बंधित विज्ञापन का चुनाव कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध मैनु “Candidate Information” के अंतर्गत “Results” लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 26. पूर्व आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र से संबंधित जानकारी कहां मिलेगी?

उत्तर:- आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी निम्न तरीके से ले सकते हैं :-
अभ्यर्थी द्वारा “Exam Dashboard” लिंक <https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard> के अंतर्गत संबंधित भर्ती के समक्ष “Question Paper(s)” के कॉलम लिंक को क्लिक कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in/quespapers> लिंक पर जाकर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बंधित विज्ञापन का चुनाव कर अथवा <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध मैनु “Candidate Information” के अंतर्गत “Question Papers” लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 27-साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के पदों हेतु आयोग द्वारा वर्गवार न्यूनतम उत्तीर्णांक (Minimum Qualifying Marks) किस प्रकार रखे गए हैं।

उत्तर -साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के पदों हेतु समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गए निर्णयानुसार वर्गवार न्यूनतम उत्तीर्णांक (Minimum Qualifying Marks) निम्नानुसार रखे गए हैं :-

| Category | Minimum Qualifying Marks |
|----------------------------|--------------------------|
| GEN/OBC/MBC/EWS Candidates | 50 Marks |
| SC/ST/PH Candidates | 45 Marks |

Maximum Marks – 100 Marks

प्रश्न 28. आयोग में गठित प्रि-लिटिगेशन कमेटी (PLC) का क्या उद्देश्य/कार्य है ?

उत्तर:- आयोग द्वारा विज्ञापित विभिन्न विज्ञापनों के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विविध तथ्यों पर माननीय न्यायालय की शरण ली जाती है जिसके कारण आयोग के विरुद्ध वादकरण में वृद्धि होती है। अतः बढ़ते वादकरण को कम करने की दृष्टि से आयोग स्तर पर दिनांक 01.03.2019 को प्रि-लिटिगेशन कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। जिसमें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सम्बंधित अभ्यर्थियों के अभ्यावेदनाओं को जाँचा/निस्तारित किया जाता है। इससे आयोग के विरुद्ध वादकरण में कमी आई है।

नोट:- ऑनलाइन आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यालय समय में आयोग की वेबसाइट (<https://rpsc.rajasthan.gov.in>) पर “Contact Us” में उपलब्ध दूरभाष नम्बर तथा फीडबैक ई-मेल द्वारा सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध हेल्प लाईन अथवा recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर E-Mail कर समस्या का निराकरण किया जा सकता है।